भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या **491***

जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी संबंधी विशेष पैकेज

491*. श्री अरुण भारती:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एनबीएस राजसहायता से इतर डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस विस्तार से विशेषकर हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियों के दृष्टिगत किसानों के लिए किफायती मूल्यों पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता किस प्रकार सुनिश्चित होती है;

(ग) इस विस्तार से सरकारी बजट पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा और किसानों को उर्वरकों की सुलभता कैसे प्रभावित होगी;

(घ) क्या किसानों के लिए डीएपी की कीमतों को स्थिर करने में इस राजसहायता की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए कोई लक्ष्य या कार्यनीति बनाई गई है; और

(ड.) इस पहल से देश में किसानों के कल्याण और कृषि कार्यों की निरंतरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता किस प्रकार झलकती है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'डीएपी संबंधी विशेष पैकेज' के संबंध में श्री अरूण भारती द्वारा पूछे गए दिनांक 04.04.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.491* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड.): सरकार ने दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त 3,500 रूपए प्रति मीट्रिक टन की दर से डीएपी पर विशेष पैकेज अथवा वास्तविक लागू व्यय, जो भी कम हो, को मंजूरी दी है। इस प्रावधान को दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक 3346 करोड़ रुपये के समग्र अनुमानित कुल वित्तीय निहितार्थ के साथ दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया है। अब भारत सरकार ने डीएपी पर पैकेज को 2095.45 करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय निहितार्थ के साथ दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक बढ़ा दिया है। एनबीएस नीति के तहत, हाल ही के वर्षों में, प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने द्विवार्षिक आधार पर एनबीएस दरें निर्धारित करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त, भू-राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर, डीएपी पर विशेष पैकेज से किसानों को 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम की बोरी की वहनीय दर पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। एनबीएस सब्सिडी दरों को द्विवार्षिक रूप से निर्धारित करके और डीएपी सहित सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की एमआरपी की निरंतर निगरानी करके यह सुनिश्चित किया गया है कि सब्सिडी प्राप्त उर्वरक वहनीय मूल्य पर उपलब्ध हैं और डीएपी देश भर के किसानों को 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बोरी के किफायती मूल्य पर उपलब्ध हो। इस पहल से देश की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र और संबंधित कार्यकलापों को सहायता मिली है।

*****